भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

.....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 154

(22 नवम्बर, 2011 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगस कोष का गबन

154. प्रो. अनिल कुमार साहनीः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उनके मंत्रालय के ध्यान में उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगस) के लिए नियत कोष का जानबूझकर गबन करने और गंभीर एवं घोर उल्लंघन के मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गबन की गई धनराशियों की मात्रा सुनिश्चित की है और इसके लिए जिम्मेवार अधिकारियों की पहचान की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) मनरेगस कोष के गबन पर अंकुश लगाने के लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रदीप जैन 'आदित्य')

(क) से (ग) : मंत्रालय को देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में अनेक शिकायतें मिलती हैं। दिनांक 10.11.2011 की स्थिति के अनुसार, मंत्रालय को उत्तर प्रदेश से संबंधित लगभग 999 शिकायतों सहित 2574 ऐसी शिकायतें मिली हैं। चूंकि राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम का कार्यान्वयन इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनके द्वारा बनाई गई योजनाओं के अनुसार किया जाता है, इसलिए मंत्रालय को प्राप्त सभी शिकायतें विधि के अनुसार जांच सहित उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी जाती हैं। इस अधिनियम की धारा 18 के अनुसार यह संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वह योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारी को यथावश्यक स्टाफ एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराए। इसलिए संबंधित राज्य सरकार कदाचार अथवा गबन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों अथवा एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी है।

मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को लगातार याद दिलाता रहा है कि वे एमजीएनआरईजी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अनुसार शिकायतों के निवारण एवं निपटान के लिए उपयुक्त तंत्र बनाएं। राज्य सरकारों को इस अधिनियम के अंतर्गत उनके कर्तव्य के बारे में भी याद दिलाया जाता है कि वे गंभीर शिकायतों की जांच करवाकर

आवश्यक कार्रवाई करें और यह सुनिश्चित करें कि सरकारी निधियों के दुर्विनियोग एवं गबन के मामलों में विधि के अनुसार संबंधित व्यक्तियों से कथित धनराशि को वापस लेने के अतिरिक्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध न केवल अनुशासनिक कार्रवाई की गई है बल्कि साथ ही भारतीय दंड संहिता एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आपराधिक अभियोजन भी आरंभ किया गया है।

(घ) : निधियों के दुरुपयोग/ गबन को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि एमजीएनआरईजीए के लिए रिलीज की गई निधियों का उपयोग पारदर्शी एवं कुशलतापूर्वक किया गया है, सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्नलिखित हैं:

(i) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से महात्मा गांधी नरेगा योजना लेखा परीक्षा नियमावली, 2011 को अधिसूचित किया गया है।

(ii) समय पर भुगतान सुनिश्चित करने, पारदर्शिता लाने, मजदूरी भुगतान में ईमानदारी लाने के लिए एमजीएनआरईजी अधिनियम की अनुसूची-II को संशोधित किया गया है ताकि विशेष रूप से छूट मिलने तक बैंक अथवा डाकघरों में संस्थागत खातों के जरिए एमजीएनआरईजीए कामगारों को मजदूरी वितरण को एक सांविधिक आवश्यकता बनाया जा सके।

(iii) मजदूरी वितरण के संस्थागत पहुंच को सुदृढ़ करने के लिए यह तय किया गया है कि राज्य सरकार रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)/ अर्हता के लिए अनुरोध (आरएफक्यू) आमंत्रित कर प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के आधार पर ग्राम स्तर पर बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के साथ बैंकों के जरिए मजदूरी भुगतान कराने के लिए बिजनेस कॉरेसपोंडेंट मॉडल लागू करे।

(iv) एमजीएनआरईजीए के लिए समर्पित स्टाफ की तैनाती, सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए प्रबंधन एवं प्रशासनिक सहायक संरचना शिकायत निवारण एवं सूचना, शिक्षा एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अवसंरचना के लिए अनुमेय प्रशासनिक व्यय की सीमा को 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया है।

(v) राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे एमजीएनआरईजीए के लिए निधियों के प्रबंधन में अधिक लोचनीयता के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष बनाएं।

(vi) जॉब कार्ड, मस्टर रोल, मांगे गए रोजगार एवं किए गए कार्यदिवस, कार्यों की सूची, उपलब्ध/ खर्च की गई निधियां, सामाजिक लेखा परीक्षा के निष्कर्ष, शिकायतों के पंजीकरण आदि सहित सार्वजनिक समीक्षा के लिए आंकड़ा उपलब्ध कराने के लिए आईसीटी आधारित एमआईएस लागू की गई है।

(vii) शिकायत निवारण के लिए जिला स्तर पर ओमबड्समेन नियुक्त करने के लिए सभी राज्यों को निर्देश दिया गया है।

(viii) योजना की निगरानी के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी तंत्र है।

(ix) राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को एक वित्त वर्ष में एमजीएनआरईजीए के अंतर्गत निधियों का केन्द्रीय अंश की रिलीज पूर्व वित्त वर्ष के लेखाओं के निपटान एवं उपयोग प्रमाण पत्र की समीक्षा के अध्यधीन की जाती है।

*****